GOVERNMENT OF INDIA(BHARAT SARKAR)
MINISTRY OF RAILWAYS(RAIL MANTRALAYA)
(RAILWAY BOARD)
****

No.E(P&A)I-98/FE-4/3 New Delhi, Dated: 8 .6.99.

The General Manager,
South Central Railway,
Secunderabad.

Sub: Condonation of Break in service caused by summer vacation - Lecturers of Railway Degree College - South Central Railway, Secunderabad.

****

The above mentioned issue was raised by NFIR in PNM Meeting held with the Railway Board on 20/21-4-99. Pursuant to the discussions in the aforesaid meeting it hasbeen decided by the Board that in respect of Lecturers appointed on ad-hoc basis as substitute Lecturers in Railway Degree College, Secunderbad, the break in service caused for limited periods during the spells of vacation only may be condoned for the purpose of fixation of pay. In respect of existing cases of this type the pay will be fixed on proforma basis without payment of arrears.

2. The determination of seniority in such cases will, however, be governed by the normal rules, namely from the date of regularisation.

3. This has the sanction of the President.

4. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

5. The receipt of this letter may please be acknowledged.

KJAbraham
(K.J. ABRAHAM)
Joint Director Estt.(P&A),
Railway Board.

...2/-

No.E(P&A)I-98/FE-4/3 New Delhi, Dated: 8 .6.99.

Copy to FA & CAO, S.C. Railway, Secunderabad.

(K.J. ABRAHAM)
Joint Director Estt.(P&A),
Railway Board.

No.E(P&A)I-98/FE-4/3 New Delhi, Dated: 8 .6.99.

Copy to the Director of Audit, S.C. Railway, Secunderabad.

for Financial Commissioner, Railways.

No.E(P&A)I-98/FE-4/3 New Delhi, Dated: 8 .6.99.

Copy forwarded to :-

1. The General Secretary, NFIR(with 35 spares).
2. The General Secretary, AIRF(with 35 spares).
3. The Members of the National Council Departmental Council and Secretary, Staff Side, National Council, 13-C, Road, New Delhi(with 90 spares).

for Secretary, Railway Board.

Copy to : PPSs to MS, AM(S) & AM(F)
PSs to EDE(IR), EDPC-I, EDPC-II, EDE, EDE(N), JDE(L), JDE(N), JDE(W), DDE(LR)I.

Branches : E(NG)II, E(W), E(LR)I (with 80 spares), FE-I,II,III, FE(Spl.), PC-III, IV, V & E(P&A)II

****

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं0 ई(पीएंडए)1-98/एफ•ई-4/3 नयी दिल्ली, दि0 8•6•99

महाप्रबंधक,
दक्षिण - मध्य रेलवे
सिकंदराबाद•

विषयः- दक्षिण-मध्य रेलवे, सिकंदराबाद के रेलवे डिग्री कालेज के प्राध्यापकों को गर्मी की छुट्टियों के कारण होने वाले सेवा भंग को माफ करना•

xxxx

उपर्युक्त मुद्दा नेशनल फेडरेशन आफ इंडियन रेलवेमैन द्वारा 20/21•4•99 को रेलवे बोर्ड के साथ आयोजित स्थायी वार्ता तंत्र की बैठक में उठाया गया था• उक्त बैठक में किए गए विचार-विमर्श के अनुसार बोर्ड द्वारा यह विनिश्चय किया गया है कि रेलवे डिग्री कालेज सिकंदराबाद में एवजी प्राध्यापक के रूप में तदर्थ आधार पर नियुक्त प्राध्यापकों के संबंध में, वेतन निर्धारित करने के प्रयोजन के लिए केवल छुट्टी की अवधियों के दौरान सीमित अवधियों के लिए होने वाले सेवाभंग को माफ किया जाए• इस प्रकार के मौजूदा मामलों के संबंध में वेतन बकाया राशि का भुगतान किए बिना प्रोफार्मा आधार पर निर्धारित किया जाएगा•

2• बहरहाल, ऐसे मामलों में वरिष्ठता का निर्धारण सामान्य नियमों द्वारा अर्थात् नियमितीकरण की तारीख से शासित होगा•

3• इसे राष्ट्रपति जी की स्वीकृति प्राप्त है•

4• इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है•

5• कृपया इस पत्र की पावती दें•

के जे अब्राहम

(के•जे•अब्राहम)
संयु•निदे•, स्था(वेतन एवं भत्ता)
रेलवे बोर्ड•

सं0 ई§पीएंडए§1-98/एफ•ई-4/3 नयी दिल्ली, दि0 8•6•99

प्रतिलिपि वित्त एवं मुलेधि, दक्षिण-मध्य रेलवे, सिकंदराबाद को प्रेषित•

के॰जे॰ अब्राहम

§ के•जे•अब्राहम §
संयु•निदे•स्था•§वेतन एवं भत्ता§
रेलवे बोर्ड•

सं0 ई§पीएंडए§1-98/एफ•ई-4/3 नयी दिल्ली, दि0 8•6•99

प्रतिलिपि लेखा निदेशक, दक्षिण-मध्य रेलवे, सिकंदराबाद को प्रेषित•

एस॰ श्रीराम
कृते वित्त आयुक्त/रेलें•

सं0 ई§पीएंडए§1-98/एफ•ई-4/3 नयी दिल्ली, दि0 8•6•99

प्रतिलिपि निम्न को प्रेषित:

1• महासचिव, एन•एफ•आई•आर §35 अतिरिक्त प्रतियों सहित§•
2• महासचिव, ए•आई•आर•एफ§35 अतिरिक्त प्रतियों सहित§•
3• राष्ट्रीय परिषद, विभागीय परिषद के सदस्य तथा सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली§90 अतिरिक्त प्रतियों सहित§•

कृते सचिव, रेलवे बोर्ड•